Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding the issue of fire incident in a factory at Rani Jhansi Road, Delhi.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो मुद्दा उठाने का मौका दिया है, वह बहुत ही दर्द भरा है । दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थित अनाज मण्डी में भीषण अग्निकांड हुआ । लोग इसे अग्निकांड कह रहे हैं । तीन दिनों की अपनी फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर हम कहना चाहते हैं कि यह अग्निकांड नहीं है, बल्कि यह एक नरसंहार है । इसके बारे में कहने के लिए मेरे पास सात लाइनों की बात है । उस फ्लैट में घरेलू मीटर कनेक्शन लगा था, उसका बिल लाखों रुपये में आता था, लेकिन बिजली विभाग इस पर चुप था । वह क्यों चुप था, यह सवाल है । उसमें फैक्ट्री चल रही थी, उसका कोई लाइसेंस नहीं था । लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चुप था । एक फ्लैट में सौ से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, उसमें चाइल्ड लेबर काम कर रहे थे, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट चुप था । उसमें से एक आदमी ने डेढ़ मिनट के लिए फोन किया और वह चिल्लाता रहा कि मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद था । वहां का विधायक आम आदमी पार्टी का है, वहां का पार्षद आम आदमी पार्टी का है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन वर्ष 2017 से री-डेवलपमेंट प्लान में शिफ्ट नहीं किया गया । मैं आपके मार्फत प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार गरीबों को मौत न दे । इसके लिए उससे जवाब मांगना पड़ेगा । इसमें 43 गरीब लोग, वे चाहे बिहार के ही क्यों न हो, मर गए हैं । क्या गरीब यहां मरने के लिए आए हैं? कुछ दिन पहले इन्होंने बिहार के लिए खराब स्टेटमेंट दिया था । कुछ दिन पहले इसी सी.एम. ने कहा था कि 500 रुपये की टिकट लेकर चले आते हो और आज उसी बिहार के 43 लेबर्स जलने और सफोकेशन से मर गए हैं । …(व्यवधान) मत बोलिए, इस पर बोलने का अधिकार नहीं हैं, आप काम करिए । मैं आपके मार्फत चाहता हूं कि संसद जवाब मांगे कि सरकार ने आंख बंद क्यों रखी?

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और श्रीमती रमा देवी को श्री मनोज तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री चिराग कुमार पासवान (जमुई): स्पीकर महोदय, धन्यवाद । मैं भी इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी की तरफ से बात रखना चाहता हूं । रविवार की सुबह इस दुखद समाचार को लेकर आई । कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं, जिनको आप उम्र भर नहीं भूल सकते हैं और यह भी उन्हीं घटनाओं में से एक है, लेकिन जरूरत है कि जब ऐसी घटना घटित हो तो उसके बाद ऐसी कार्रवाई की जाए कि कम से कम भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे । मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच होगी । निरंतर यह कहा जा रहा है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन मेरा सवाल है और हमें यह जानने की जरूरत है कि दोषी कौन है? इस घटना में जो लोग दोषी हों, उनके लिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उनके प्रति नामजद एफ.आई.आर. दर्ज हो । मुझे नहीं पता कि सही मायने में वहां का मकान मालिक दोषी है, वहां की जितनी अथॉरिटीज हैं, उनमें जल बोर्ड हो, बिजली बोर्ड हो, एम.सी.डी. हो, डी.डी.ए. हो या स्थानीय नेता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो दोषी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए ।

सर, एक रिहायशी इलाके में चार मंजिला इमारत थी । वहां हमारी पार्टी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज, जो समस्तीपुर से सांसद हैं, हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी सहित जनशक्ति पार्टी का एक डेलीगेशन गया । बिहार के जो 43 लोग मरे हैं, उनके लिए मुझे ज्यादा दुख इसलिए होता है, क्योंकि वे मेरे प्रदेश के लोग हैं और हजार किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए अपना प्रदेश छोड़कर यहां पर आते हैं, लेकिन उनके घर उनकी लाश जाती है । इससे बड़ी दुखद घटना और कोई नहीं घट सकती है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दोषियों को चिह्नित किया जाए, उन पर नामदर्ज एफ.आई.आर. हो और मृतक के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा मिले, क्योंकि इसमें परिवार के इकलौते सदस्य की भी जान गई है । मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इसमें जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा, श्री प्रिंस राज, श्री राम कृपाल यादव और श्रीमती रमा देवी को श्री चिराग कुमार पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।